

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सिद्धार्थ रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय हरिद्वार	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग	धारा-17(1)(क)
2	श्री रामपाल सिंह मेहता	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय ऊधमसिंह नगर	निदेशालय समाज कल्याण हल्द्वानी नैनीताल	धारा-17(1)(ख) (एक)
3	श्री दलीप प्रसाद	निदेशालय समाज कल्याण, हल्द्वानी	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़	धारा-17(1)(ख) (सात)

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

क्रम संख्या-2 एवं 3 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किये जाने के फलस्वरूप इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

( आशीष भटगाँई )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 675/स0क0/स्था0-3/स्थानान्तरण/2023-24 दिनांक 9 जून, 2023  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 5- नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 7- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रधान सहायकों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, नैनीताल	राजकीय आश्रम पद्धति उ०मा० विद्यालय, बेतालघाट	धारा-17 (1) (क)
2	श्री गोपालदत्त काण्डपाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, चमोली	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा	धारा-17 (1) (ख) (चार)

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

कम संख्या-2 पर अंकित कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किये जाने के फलस्वरूप इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

( आशीष भटगाँई )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 676 /स०क०/स्था०-3/स्थानान्तरण/2023-24 दिनांक 9 जून, 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 4- नोडल अधिकारी, आई०टी०सैल, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।



## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1)के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति / धारा
1	2	3	4	5
1	मो० असलम	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल	का०जि०स०क०अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	7 (घ) (दो)

जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिक का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाँई)  
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 678/स०क०/स्था०-3/स्थाना०/2023-23

दिनांक 9 जून, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 3- जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 4- नोडल अधिकारी, आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक

9

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित छात्रावास अधीक्षकों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति / धारा
1	2	3	4	5
1	श्री जयदेव नौगाँई	रा0अनु0 जाति छात्रावास, हरिद्वार	रा0अनु0 जाति छात्रावास, चमोली	17 (1)(क)
2	श्री जितेन्द्र शाह	रा0अनु0 जाति छात्रावास, चमोली	रा0अनु0 जाति छात्रावास, हरिद्वार	17 (1)(ग)

सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों के माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाँई)  
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 681/स0क0/स्था0-3/स्थाना0/2023-23

दिनांक 9 जून, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।

3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष।

4- नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।

5- सम्बंधित कार्मिक द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी।

6- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक



## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कम्प्यूटर आपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टैन्ट (कोपा) को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति / धारा
1	2	3	4	5
1	श्री दिवान सिंह राणा	रा0औ0प्र0सं0 मालधनचौड़, रामनगर	रा0औ0प्र0सं0 बागेश्वर	17 (1)(क)
2	श्री मंजुल सिंह राणा	रा0औ0प्र0सं0 बागेश्वर	रा0औ0प्र0सं0 मालधनचौड़, रामनगर	17 (1)(ग)

सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों के माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाँई)  
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 679 / स0क0 / स्था0-3 / स्थाना0 / 2023-23

दिनांक 9 जून, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।

3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष।

4- नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।

5- सम्बंधित कार्मिक द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी।

6- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक अध्यापक (प्राथमिक) को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति / धारा
1	2	3	4	5
1	श्री अरूण कुमार	रा0अनु0 जाति छात्रावास, जैती, अल्मोड़ा	रा0आ0प0विद्यालय रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	17 (1)(ग)
2	श्री इरफान	रा0आ0प0विद्यालय रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	रा0आ0प0विद्यालय, पौड़ी	रा0आ0प0वि0 पौड़ी में स0अ0 के स्वीकृत समस्त पद रिक्त होने के कारण शासकीय हित में

सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों के माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाँई)  
निदेशक

### निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 680/स0क0/स्था0-3/स्थाना0/2023-23

दिनांक 9 जून, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।

3- संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी।

4- नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।

5- संबंधित कार्मिक, द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी।

6- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु

निदेशक

9



## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सुश्री प्रीति नौटियाल	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह गोपेश्वर चमोली	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, देहरादून	धारा-17 (1) (ग)
2	श्री संतोष कुमार	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा	निदेशालय समाज कल्याण हल्द्वानी, नैनीताल	धारा-17 (1) (ख) (चार)

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

क्रम संख्या-2 पर अंकित कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किये जाने के फलस्वरूप इन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

( आशीष भटगाँई )  
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 677 /स0क0/स्था0-3/स्थानान्तरण/2023-24 दिनांक 9 जून, 2023  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 5- नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 7- स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
निदेशक।

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति / धारा
1	2	3	4	5
1	श्री महेश प्रताप सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग	17 (1)(क) दुर्गम विकास खण्ड
2	पूनम चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून	17 (1)(ग) सुगम विकास खण्ड
3	खजान सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून	नियम-20 (क) 17 (1)(क) दुर्गम विकास खण्ड
4	श्री राजेन्द्र सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली	17 (1)(ख) दुर्गम विकास खण्ड
5	श्री शैलेन्द्र पाण्डे	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	17 (1)(ग) सुगम विकास खण्ड

सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी के स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

6



उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंतर्गत नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए उचित माध्यम से योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों के माह जून, 2023 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाँई)  
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

संख्या 682/स0क0/स्था0-3/स्थाना0/2023-24

दिनांक 09 जून, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
- 3- सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- सम्बंधित कार्मिक, द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु

निदेशक

9

## आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) की धारा 16(1)के अन्तर्गत समाज कल्याण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 404/xvii-4/2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायक निदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदनाम एवं तैनाती स्थान	स्थानान्तरण के फलस्वरूप पदनाम एवं तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति / धारा
1	2	3	4	5
1	श्रीमती हेमलता पाण्डे	जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	सहायक निदेशक, निदेशालय, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।	17(1)(ग)

श्रीमती हेमलता पाण्डे, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत, निदेशालय में सहायक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। श्रीमती पाण्डे के स्थानान्तरण के फलस्वरूप अग्रिम आदेशों तक श्री सुधीर जोशी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा प्रभारी जिला जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

श्रीमती पाण्डे के माह जून, 2023 का वेतन निदेशालय से ही आहरित किया जायेगा।

(आशीष भटगाई)  
निदेशक

संख्या 683 /स०क० /स्था०-3 /स्थाना० /2023-24

दिनांक 09 जून, 2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 5- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/नैनीताल।
- 6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
- 7- नोडल अधिकारी, आई०टी०सैल देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक